

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 365—371

Dated 23-3-2013

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2013

सं.का.नि. 69.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखानों, ग्वालियर तथा सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना, नीमच (समूह क तथा ख पद), भर्ती नियमावली, 1985 में किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, अतिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना, नीमच के संबंध में अनुसंधान अधिकारी के पद पर भर्ती की प्रकृति को नियमित करने हेतु निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा लागू होने की तिथि : (1) इन नियमों को सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—पदों की संख्या तथा इनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. भर्ती की प्रकृति, आयु-सीमा, योग्यता आदि.—इन पदों से संबंधित भर्ती की प्रकृति, आयु-सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.—कोई व्यक्ति :

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

(ख) जो, जीवित पति अथवा पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है।

उपर्युक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि यदि केन्द्र सरकार ऐसे व्यक्ति पर लागू होने वाले निजी नियमों के अंतर्गत ऐसे विवाह तथा विवाह के दूसरे पक्ष से तथा ऐसे कृत्य हेतु अन्य कारणों से संतुष्ट हो तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार.—यदि केन्द्र सरकार की राय में ऐसा करना अपेक्षित अथवा आवश्यक हो तो वह किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति को आदेश द्वारा लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकती है।

6. इसके अतिरिक्त.—इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति अथवा भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशिष्ट श्रेणियों अथवा व्यक्ति को दी जाने वाली आयु-सीमा तथा अन्य छूट आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा।

पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	क्या चयन अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुसंधान अधिकारी	3*(2013) *कार्यभार की प्रकृति के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित	वेतन बैंड-2, रु. 9,300-34,800 के साथ 4,600 रुपये का ग्रेड वेतन	गैर-चयन पद	शून्य
सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं					क्या सीधी भर्ती हेतु आयु तथा शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति पर लागू होगी
(7)			(8)		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई (9)
शून्य			लागू नहीं		शून्य

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा सविलियन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा सविलियन ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा सविलियन द्वारा भर्ती किये जाने के मामले में

(10)

(11)

पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जाए तो लघु अवधि सविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, 9300 - 34800 रु. के वेतन ग्रेड 2 के साथ 4200 रु. ग्रेड वेतन में 5 वर्षों की नियमित सेवा।

नोट 1: जब कनिष्ठ अधिकारी पदोन्नति हेतु विचारणीय हैं जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी इस शर्त के अधीन विचारणीय होंगे जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा आधे से अधिक या दो-धपे दोनों में से जो कम हो, पूरी कर ली हो और परिवर्द्धना अवधि उनके अगले उच्च पद के लिए, उनके कनिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरी कर चुके हों जो पहले से ही इस प्रकार की अर्हक व सेवा पात्रता पूर्ण कर चुके हों।

नोट 2: पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की समणतिक तददश्य में अधिकारी द्वारा 1-1-2006 वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान संशोधन किए गए थे, में की गई नियमित सेवा को गिना जायेगा, उसे तदनुसूची ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से समतुल्य आयुक्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पात्र सेवा माना जायेगा।

प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि सविदा सहित) किसी सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा स्वैच्छिक अथवा स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी :-

(क) (1) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर कार्यरत सादुरा अधिकारी; अथवा

(2) वेतन ग्रेड 2, 9300 - 34800 रु. के साथ 4200 रु. के ग्रेड वेतन में अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी; तथा

(ख) निम्न शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले अधिकारी :-

(1) औद्योगिक अथवा विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि।

(2) औद्योगिक तथा विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में दो वर्ष का अनुसंधान अनुभव अथवा किसी रासायनिक अथवा फार्मास्यूटिकल संवर्ग में आधुनिक उपकरणों के साथ कार्य का अनुभव।

नोट 3: फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी कतार में हैं वे प्रतिनियुक्ति अथवा सविलियन के आधार पर नियुक्ति के विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह से प्रतिनियुक्ति पद पर कार्यरत अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति अवधि (लघु अवधि सविदा सहित) किसी संवर्ग/ग्रेड में इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी संगठन अथवा केंद्र सरकार के किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति अवधि (लघु अवधि सविदा सहित) समाप्त्यतः 3 वर्ष से अधिक

(11)

नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु (लघु अवधि सहित) अधिकतम आयु-सीमा इस आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (लघु अवधि सहित) को उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा एक जनवरी 2006 से पहले की नियमित आधार की सेवा, यह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार पर संशोधित वेतनमान लागू हुए थे, को उपर्युक्त आयोग की सिफारिश के आधार पर तदनुकूपी ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा मान्य मानी जाएगी, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें वेतन के संशोधन पूर्व के एक से अधिक वेतनमानों को एक सामान्य ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में संविलियन कर दिया गया है तथा जिनमें यह लाभ केवल उन पदों को दिया गया है जिनके ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना उन्नयन के सामान्य रिप्लेसमेंट ग्रेड है।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना

भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से किन परिस्थितियों में परामर्श किया जाना अपेक्षित है

(12)

समूह 'ख' विभाग पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति पर विचार किए जाने हेतु :

- (i) मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाने (नई दिल्ली) - अध्यक्ष
- (ii) महाप्रबंधक, सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना, नीमच - सदस्य
- (iii) उत्पादन प्रबंधक, या कार्य अभियन्ता, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच - सदस्य

(13)

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि सहित) करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित है।

[फा. सं. II/172/स्था./सी.सी.एफ./2010]
सत्यनारायण दास, अवर सचिव

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2013

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, Gwalior and Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1985, insofar as they relate to the post of the Research Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch (Research Officer) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the pay band, grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer	3* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted	Pay Band-2, Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,600	Non-Selection	Nil
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(7)		(8)		(9)	
Nil		No		Nil	
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(10)			(11)		
By promotion falling which by deputation including short-term contract			Promotion : Senior Scientific Assistant in pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 with 5 years regular service in the grade		

(11)

Note 1 : When juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Governments or universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous or local bodies

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :

(i) Master's Degree in organic or analytical chemistry of a recognised university; and

(ii) Two years' research experience in organic or analytical chemistry or of working with modern instruments in a chemical or pharmaceutical plant.

Note :

1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].

2. For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or

	(11)
	<p>pay scale extended based on the absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</p>
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories - Chairman (2) General Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neebuch - Member (3) Production Manager or Works Engineer, Government Opium and Alkaloid Works, Neebuch - Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract)</p>

[F. No. II/17/2/Est/CCF/2010]
SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 31st January, 2019

G.S.R. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, Gwalior and Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1985 in so far as they relate to the post of Senior Scientific Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Senior Scientific Assistant, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch, Senior Scientific Assistant, Group 'B' post Recruitment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification.—No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post (1)	Number of post (2)	Classification (3)	Level in Pay Matrix (4)
Senior Scientific Assistant	7* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6
Whether selection post or non-selection post (5)	Age limit for direct recruits (6)	Educational and other qualifications required for direct recruits (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Period of probation, if any (9)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods (10)		
Two years for promotees	2/7 by promotion failing which by deputation (Including Short-Term Contract); 5/7 by deputation. (Including Short-Term Contract)		

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
<p>Promotion:</p> <p>Junior Scientific Assistant and Assistant Foreman (Chemical) in the pay matrix level-5 with six years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including Short-Term Contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territory or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Statutory Bodies or Recognised Research Institutes or Universities or Semi Government Organisations,-</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay matrix level-5 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>Essential:</p> <p>Master's Degree in Chemistry or Organic Chemistry or Analytical Chemistry from a recognised university.</p> <p>Desirable:</p> <p>One year research experience from Government recognised Universities or Government recognised Institutes or Government Organisations in research in organic or analytical chemistry or One year experience of use of modern analytical techniques in chemical or pharmaceutical plant from Government recognised Institutes or Organisations.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption, and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (Including Short-Term Contract) including period of deputation (Including Short-term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion committee. (for promotion) and Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation)</p> <p>1. Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories - Chairman</p> <p>2. General Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch - Member</p> <p>3. General Manager Government Opium and Alkaloid Works, Ghazipur - Member</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (Including Short-Term Contract).</p>

[F. No. II(17)2/Estt./CCF/2011]

T. K. SATPATHY, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 44.—भविष्य के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए तथा शासकीय अफ़ीस एवं क्षारोद कारखाने ग्वालियर एवं शासकीय अफ़ीस एवं क्षारोद कारखाने नीमच (समूह 'क' एवं समूह 'ख' पद) भर्ती नियमावली, 1985 के अधिक्रमण में इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा विलोपित किए जाने वाले कार्य को छोड़कर, जहां तक उसका संबंध वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद से संबंधित है, राष्ट्रपति पदद्वारा शासकीय अफ़ीस एवं क्षारोद कारखाने नीमच में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हुए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम तथा लागू होने की तिथि.—(1) इन नियमों को शासकीय अफ़ीस एवं क्षारोद कारखाने नीमच वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक पद 'बी' पद भर्ती नियमावली 2019 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मेट्रिक्स में लेवल.—पदों की संख्या तथा वर्गीकरण एवं इसमें संबद्ध पे मेट्रिक्स में लेवल, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता आदि.—इन पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता एवं अन्य मामलों, उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो जीवित पति अथवा पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है।

उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा:

इसके अतिरिक्त यह प्रावधान है कि यदि केन्द्र सरकार ऐसे व्यक्ति पर लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत ऐसे विवाह तथा विवाह के दूसरे पक्ष से तथा ऐसे कृत्य हेतु अन्य कारणों से संतुष्ट हो, तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

5. शिथिलता प्रदान करने का अधिकार.—यदि केन्द्र सरकार की राय में ऐसा करना अपेक्षित अथवा आवश्यक हो, तो वह किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति को आदेश द्वारा लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी प्रावधान से शिथिलता प्रदान कर सकती है।

6. इसके अतिरिक्त.—इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशिष्ट श्रेणियों अथवा व्यक्ति को दी जाने वाली आयु-सीमा तथा अन्य छूट आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	7 *(2019) * कार्यभार की प्रकृति के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, गैर-अनुसूचितीय	लेवल 6

क्या चयन पद अथवा गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु शैक्षणिक योग्यता, पदोन्नत व्यक्ति के मामलों में लागू होगी
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन तथा विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
पदोन्नत हेतु 02 वर्ष	2/7 पदोन्नति द्वारा ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति पर (जिसमें अल्पावधि संविदा शामिल है) 5/7 प्रतिनियुक्ति पर (जिसमें अल्पावधि संविदा शामिल है)

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन के मामले में, ग्रेड जिनमें से पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाता है	
(11)	
<p>पदोन्नति.—कनिष्ठ वैज्ञानिक महायक एवं सहायक फोगमन (केमिकल) पे मेट्रिक्स लेवल 5 में, ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा प्राप्त।</p> <p>टिप्पणी 1. संवन्धित ग्रेड अथवा पद पर निर्धारित अर्हक सेवा के अधिकारियों द्वारा पूर्णता की तिथि के अनुसार, पदोन्नति हेतु पात्रता सूची तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पणी 2. जहां ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ पर भी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षा पात्रता/अर्हता सेवा अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से भी कम हो, से कम न हो एवं उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ प्रविक्षा की अवधि पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी पात्रता/अर्हता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पावधि संविदा शामिल है)</p> <p>केन्द्र या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या मान्यता प्राप्त संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या संबैधानिक संगठन या के तहत अधिकारी:</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग/विभाग में पे मेट्रिक्स लेवल 5 में अथवा इसके समान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा।</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखते हैं।</p> <p>अनिवार्य.—</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री अथवा आर्गेनिक केमिस्ट्री या एनालाइटिक केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर वांछनीय.—</p> <p>आर्गेनिक केमिस्ट्री या एनालाइटिक केमिस्ट्री में अनुसंधान में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान या सरकारी संगठन में या सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक वर्ष का अनुसंधान का अनुभव अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से केमिकल अथवा फार्मास्युटिकल फ़ैक्ट में मॉडर्न एनालाइटिक तकनीक में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1. फीडर वर्ग के ऐसे विभागीय कर्मचारी जो कि पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी पदोन्नति के द्वारा की जाने वाली नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) इस प्रतिनियुक्ति के तत्काल पूर्व केन्द्र सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समेत, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त (अल्पावधि संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	

क्या विभागीय पदोन्नति समिति है, यदि हाँ, तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियों, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु एवं समूह 'ख' विभागीय पुष्टता समिति (पुष्टता हेतु)</p> <p>1. मुख्य नियंत्रक, शामकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने - अध्यक्ष</p> <p>2. महाप्रबन्धक, शामकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने नीमच - सदस्य</p> <p>3. महाप्रबन्धक, शामकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने गाजीपुर - सदस्य</p>	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर अधिकारियों को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अनिवार्य है।

[फा. सं. II (17)2/स्था./पी.सी.एफ./2011]

टी.के.सतपथी, अवर सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 13]

नई दिल्ली, मार्च 24—मार्च 30, 2019, शनिवार/ चैत्र 3—चैत्र 9, 1941

No. 13]

NEW DELHI, MARCH 24—MARCH 30, 2019, SATURDAY/ CHAITRA 3 — CHAITRA—9, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2019

सा.का.नि. 82.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना उपक्रम [अनुसंधान तथा विकास प्रबंधक, उप उत्पादन प्रबंधक, शिफ्ट केमिस्ट (रसायन इंजीनियर) और रसायन इंजीनियर (डिजाईन)] भर्ती नियमावली 1986, में इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, जहां तक उनका सम्बन्ध उप उत्पादन प्रबंधक के पद से है, राष्ट्रपति एतद्वारा उप उत्पादन प्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—

(क) इन नियमों का शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, उप उत्पादन प्रबंधक भर्ती नियमावली, 2019 कहा जाएगा।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—उक्त पदों की संख्या, तथा उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता आदि—इस पद से सम्बन्धित भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले, उपर्युक्त अनुसूचि के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।
4. अयोग्यता—कोई व्यक्ति—
 - (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा
 - (ख) जो, जीवित पति अथवा पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है।
 उपर्युक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
 बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान कर सकती है।
5. छूट प्रदान करने का अधिकार— यदि केन्द्र सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित हो तो वह किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति को आदेश द्वारा और ऐसे कारणों के लिए जिन्हें लिखित में रिकॉर्ड किया जा सके, इन नियमों के किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकती है।
6. इसके अतिरिक्त— इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले आरक्षण, आयु—सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
उप उत्पादन प्रबंधक	1* (2019) *कार्यभार की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित गैर-मंत्रालयीन	स्तर-11

क्या चयन अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु—सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यता, पदोन्नत व्यक्तियों पर लागू होंगी
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की जानी है
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प अवधि अनुबंध सहित)	पदोन्नति: शिफ्ट केमिस्ट (रसायन इंजीनियर)/रसायन इंजीनियर (डिजाईन) के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 10 में पांच वर्ष की नियमित सेवा और विभाग द्वारा यथा निर्धारित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। नोट: जहां पदोन्नति हेतु योग्यता अथवा पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों के नामों पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठों के नामों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते के वे अपेक्षित योग्यता अथवा पात्रता सेवा की कम से कम आधी अवधि की सेवा, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी करते हों और ऐसी योग्यता अथवा पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठों सहित अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु

		<p>परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित):</p> <p>केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के अधिकारी जो</p> <p>(क) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हो; अथवा</p> <p>(ii) मूल कैडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में पांच वर्षों की नियमित सेवा।</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>अनिवार्य:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन इंजीनियरिंग अथवा रसायन तकनीकी में स्नातक अथवा ऑर्गेनिक रसायन शास्त्र अथवा फार्मास्यूटिकल रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि।</p> <p>(ii) आधुनिक उपकरणों के ज्ञान सहित किसी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी, अथवा स्वायत्त अथवा फार्मास्यूटिकल संयंत्र में पर्यवेक्षी में 5 वर्षों का अनुभव।</p> <p>नोट 1: फ्रीडर श्रेणी में वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे (अल्प अवधि अनुबंध सहित)। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि अनुबंध सहित) केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले किसी संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि अनुबंध सहित) सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 3: प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन को प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से अपेक्षित परामर्श करने हेतु परिस्थितियां
(12)	(13)
<p>समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु)</p> <p>(I) मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, नई दिल्ली —अध्यक्ष,</p> <p>(II) महाप्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच —सदस्य;</p> <p>(III) महाप्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर —सदस्य।</p>	<p>किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th March, 2019

G.S.R. 82 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government Opium and Alkaloid Works Undertaking, [Research and Development Manager, Deputy Production Manager, Shift Chemist (Chemical Engineer) and Chemical Engineer (Design)] Recruitment Rules, 1986, in so far they relate to the post of Deputy Production Manager, excepts as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Production Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch, namely : —

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch, Deputy Production Manager, Group 'A' post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification, —** No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Deputy Production Manager	1* (2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-11

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)	Promotion: Shift Chemist (Chemical Engineer)/Chemical Engineer (Design) with five years' regular

		<p>service in the level-10 in the pay matrix and having successfully completed two weeks training as prescribed by the Department.</p> <p>Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>(1) Officers of the Central Government or State Government or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi Government, or Autonomous or Statutory Organizations,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with five years' regular service in the level-10 of the pay matrix in parent cadre or Department ; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>(i) Degree in Chemical Engineering or Chemical Technology or Master's Degree in Organic Chemistry or Pharmaceutical Chemistry from a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) five years' experience in a supervisory capacity in a Chemical or Pharmaceutical plant with knowledge of modern instrument from the Central Government or State Government or universities or recognized research institutions or public sector undertaking or semi Government, or autonomous or statutory organisation.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract), and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition (12)	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, New Delhi - Chairman; 2. General Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch - Member; 3. General Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Ghazipur - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contact).

[F.No. II(17)3/Estt/CCF/2011]

T. K. SATPATHY, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2019

सा.का.नि. 83. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, कनिष्ठ लेखा अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, बर्हताएं आदि—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा बर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति —** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति —** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 987—996

Dated 20-7-2013

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 172.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाने उपक्रम समूह 'ग' तथा 'घ' गैर-राजपत्रित (डिस्पेंसरी कर्मचारी) भर्ती नियमावली, 1983 का ड्रेसर तथा वार्ड बॉय के पदों के संबंध में सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाने, उपक्रम समूह 'ग' तथा 'घ' गैर-राजपत्रित (तकनीकी स्टाफ) भर्ती नियमावली, 1984 के कुशल तथा अर्धकुशल श्रमिकों (अफीम फैक्ट्री) तथा श्रमिकों (क्षारोद संयंत्र में) एवं श्रमिकों (अफीम कारखाने में) के पदों के संबंध में तथा नीमच में सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना के कर्मचारी (मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कारपेन्टर तथा वे मैन) भर्ती नियमावली, 1985 में कारपेन्टर तथा वे मैन के पदों के संबंध में और सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाने उपक्रम गाजीपुर तथा नीमच (रसोईया) भर्ती नियमावली, 1986 में किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, अतिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा बहु-कार्य कर्मचारी (तकनीकी तथा रसोईया) सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाने, नीमच, तथा गाजीपुर के पदों पर भर्ती पद्धति को नियमित करने हेतु निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम तथा लागू होने की तारीख.—(1) इन नियमों को सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच तथा गाजीपुर बहु-कार्य स्टाफ (तकनीकी) तथा बहु-कार्य स्टाफ (रसोईया) भर्ती नियम, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता, आदि.—इन पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो, जीवित पति अथवा पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है।

उपर्युक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि यदि केन्द्र सरकार ऐसे व्यक्ति पर लागू होने वाले निजी नियमों के अंतर्गत ऐसे विवाह तथा विवाह के दूसरे पक्ष से तथा ऐसे कृत्य हेतु अन्य कारणों से संतुष्ट हो तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार.—यदि केन्द्र सरकार की राय में ऐसा करना अपेक्षित अथवा आवश्यक हो तो वह किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति को आदेश द्वारा लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकती है।

6. इसके अतिरिक्त.—इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों अथवा व्यक्ति को दी जाने वाली आयु-सीमा तथा अन्य छूट आरक्षण को प्रभावी नहीं करेगी।

(2)
अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	क्या चयन अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. बहुकार्य स्टाफ (तकनीकी)	192*(2013) अर्द्ध कुशल श्रमिक -29 वे मैन-3 कारपेन्टर-2 श्रमिक-156 ड्रेसर-1 वार्ड बॉय-1 *कार्यभार की प्रकृति के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, गैर-राजपत्रित, समूह 'ग', गैर-मंत्रालयी।	वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. के साथ 1800 रुपये का ग्रेड वेतन	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच। नोट 1: आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहौल तथा स्पीति जिला तथा पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी। नोट 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किए जाने वाले पदों पर नियुक्ति के संबंध में आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तारीख, प्रत्येक मामले में वही होगी जो रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख होगी।
सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं		क्या सीधी भर्ती हेतु आयु तथा शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति पर लागू होगी			परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
			(7)	(8)	(9)
	अर्द्ध-कुशल श्रमिक, वे मैन तथा श्रमिक- शासकीय मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से किसी ट्रेड में उत्तीर्ण। ड्रेसर-		लागू नहीं होता		दो वर्ष
	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फस्ट ऐड परीक्षा में उत्तीर्ण तथा फस्ट ऐड एवं क्षत पर मरहम पट्टी करने संबंधी पर्याप्त ज्ञान।				

(7)

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल
अथवा डिस्पेंसरी में दो साल कार्य करने
का अनुभव ।

कारपेन्टर-

किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्थान से कारपेन्टरी ट्रेड में
उत्तीर्ण ।

वांछनीय :

एक वर्ष कारपेन्टरी ट्रेड में कार्य करने
का अनुभव ।

वार्ड बॉय-

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा
समकक्ष ।

वांछनीय :

नर्सिंग कर्तली के कर्तव्यों का एक
वर्ष का अनुभव ।

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति
अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा संविलयन द्वारा तथा विभिन्न
पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/संविलयन ग्रेड जिससे पदोन्नति
अथवा प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में

(10)

(11)

सीधी भर्ती द्वारा ।

लागू नहीं

टिप्पणी : ऐसी रिक्तियां जो पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर
जाने अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा
अन्य किसी परिस्थिति के कारण एक वर्ष या अधिक
समय तक के लिये हो, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों
द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरी जाएं :

(क)(i) अपने मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित रूप
से समकक्ष पद पर कार्यरत, तथा

(ii) कालम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के उम्मीदवारों
के लिए निर्धारित योग्यता तथा अनुभव रखने वाले ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना

भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से किन परिस्थितियों
में परामर्श किया जाना अपेक्षित है

(12)

(13)

समूह 'ग' (तकनीकी) विभाग पदोन्नति समिति में निम्न होंगे :—

लागू नहीं ।

(i) महा प्रबंधक, सरकारी अफीम तथा क्षारोद —अध्यक्ष
कारखाना, नीमच

(ii) प्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद —सदस्य
कारखाना, नीमच

(12)

- (iii) उत्पादन प्रबंधक अथवा शासकीय अफीम तथा क्षारोद कारखाना, नीमच —सदस्य
- (iv) कार्य अभियन्ता, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच —सदस्य
- (v) वित्त विभाग अथवा नारकोटिक्स विभाग अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग अथवा आयकर विभाग के एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. बहुकार्य स्टाफ (कुक्)	2*(2013) *कार्यभार की प्रकृति के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। (1 सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना, गाजीपुर। 1 सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना, नीमच)।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, गैर-राजपत्रित, समूह 'ग' गैर-मंत्रालयी।	वेतन बैंड-1 रु. 5,200-20,200 के साथ 1800 रुपये का ग्रेड वेतन।	लागू नहीं।	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच। नोट 1: आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहौल तथा स्पीति जिला तथा पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)। नोट 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किए जाने वाले पदों पर नियुक्ति के संबंध में आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तारीख, प्रत्येक मामले में वही होगी जो रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख होगी।

(7)

(8)

(9)

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष तथा किसी गैस्ट हाउस अथवा होटल में कुक के रूप में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।

लागू नहीं

दो वर्ष

(10)

(11)

सीधी भर्ती द्वारा।

लागू नहीं

(10)

टिप्पणी : ऐसी रिक्तियां जो पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य किसी परिस्थिति के कारण एक वर्ष या अधिक समय तक के लिये हो, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरी जाएं :

(क)(i) अपने मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित रूप से समकक्ष पद पर कार्यरत, तथा

(ii) कालम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित योग्यता तथा अनुभव रखने वाले ।

(12)

समूह 'ग' (तकनीकी) विभागीय पदोन्नति समिति में निम्न होंगे :

(i) महाप्रबंधक, सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना, नीमच अथवा गाजीपुर —अध्यक्ष

(ii) प्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच अथवा गाजीपुर —सदस्य

(iii) अनुसंधान तथा विकास प्रबंधक अथवा उत्पादन प्रबंधक अथवा कार्य अभियन्ता, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच अथवा संयुक्त निदेशक शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर के केस में । —सदस्य

(iv) वित्त विभाग अथवा नारकोटिक्स विभाग अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग अथवा आयकर विभाग के एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी । —सदस्य

(13)

लागू नहीं ।

[फा. सं. II(17)/स्था./मु.नि./2011]

टी. के. सतपथी, अवर सचिव

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2013

G.S.R. 172.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Government Opium and Alkaloid Works Undertaking Group 'C' and 'D' Non-Gazetted (Dispensary Staff) Recruitment Rules, 1983, in so far as they relate to the Posts of Dresser and Ward Boy, the Government Opium and Alkaloid Works Undertaking Group 'C' and 'D' Non-Gazetted (Technical Staff) Recruitment Rules, 1984, in so far as they relate to the posts of Skilled or Semi-Skilled Worker (Opium Factory) and Workers (in Alkaloid Plant) and Workers in Opium Factory, the Government Opium and Alkaloid Works at Neemuch (Mechanic, Electrician, Carpenter and Weighman) Recruitment Rules, 1985 in so far as they relate to the posts of Carpenter and Weighman and the Government Opium and Alkaloid Works Undertakings at Ghazipur and Neemuch (Cook) Recruitment Rules 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the

3199 Fin/13-2

post of the Multi-Tasking Staff (Technical and Cook), Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch, and Ghazipur, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch and Ghazipur, Multi Tasking Staff (Technical) and Multi Tasking Staff (Cook) Recruitment Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and the Pay Band, Grade Pay or Pay Scale.**—The number of the said posts, their classification and Pay Band, Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post :
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Multi Tasking Staff (Technical)	192*(2013) Semi- skilled Worker-29 Weighman-3 Carpenter-2 Worker-156 Dresser-1 Ward Boy-1 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Gazetted Group 'C' Non- Ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years. Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of

(6)

Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2 : In case of Recruitment made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age-limit shall, in each case shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
---	---	-----------------------------

(7)

(8)

(9)

Semi- Skilled Worker, Weighman and Worker —

Pass in any trade from Government recognised Industrial Training Institute.

Dresser —

(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board;

(ii) should have passed the First-Aid Examination from a recognised institution and adequate experience of first- aid and dressing of wounds etc.

Desirable —

Two years' experience in a recognised hospital or dispensary.

Carpenter —

Pass in carpentry trade from a Government recognised Industrial Training Institute.

Desirable :

One year service in the trade.

Ward Boy —

Matriculation or equivalent.

Desirable :

One year experience in nursing orderly's duties.

Not applicable

Two years

3199 Fin/13-3

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which recruitment by promotion or deputation/absorption to be made

(10)

(11)

By Direct recruitment.

Not applicable.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of Central Government :

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and

(ii) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'C' (Technical) Departmental Promotion Committee consisting of :

Not applicable.

- | | |
|--|-----------|
| (i) General Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch | —Chairman |
| (ii) Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch | —Member |
| (iii) Production Manager Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch | —Member |
| (iv) Works Engineer, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch | —Member |
| (v) A Group 'A' Officer from the Department of Revenue or Narcotics or Central Excise or Income Tax Departments. | —Member |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Multi-Tasking Staff (Cook)	2*(2013) * Subject to variation dependent on workload. (1 for GOAW, Ghazipur 1 for GOAW, Neemuch).	General Central Service, Non-Gazetted Group 'C' Non-o Ministerial.	Pay Band-1 ₹ 5200-20200 with grade pay f ₹ 1800.	Not applicable	Between 18 and 25 years. Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and


(6)

Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2 : In case of recruitment through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent from a recognised Board with two years' experience of working as cook in any guest house or hotel.	Not applicable	Two years
(10)	(11)	
By Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (ii) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	
(12)	(13)	
Group 'C' (Technical) Departmental Promotion Committee consisting of : (i) General Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur —Chairman (ii) Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur —Member (iii) Research and Development Manager or Production Manager or Works Engineer, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Joint Director in the case of Government Opium and Alkaloid Works, Ghazipur --Member (iv) A Group 'A' Officer from the Department of Revenue or Narcotics or Central Excise or Income Tax Departments. —Member		Not applicable.

[F. No. II (17)/Estt./CCF/2011]
T. K. SATPATHY, Under Secy.



EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (I)

Appearing on Page Nos. 1833—1839

Dated: 15-12-2012

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 300.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सरकारी अफीम तथा क्षारोद कार्य नीमच (स्टोर्स अधिकारी) भर्ती नियमावली, 1986 के अतिक्रमण में इस प्रकार के अतिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा विलोमित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना नीमच, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में स्टोर्स अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम लागू होने की तिथि.—(1) इन नियमों को सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (स्टोर्स अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता आदि.—इन पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो, जीवित पति अथवा पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है।

उपर्युक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि यदि केन्द्र सरकार ऐसे व्यक्ति पर लागू होने वाले निजी नियमों के अंतर्गत ऐसे विवाह तथा विवाह के दूसरे पक्ष से तथा ऐसे कृत्य हेतु अन्य कारणों से संतुष्ट हो तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार.—यदि केन्द्र सरकार की राय में ऐसा करना अपेक्षित अथवा आवश्यक हो तो वह किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति को आदेश द्वारा लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकती है।

6. इसके अतिरिक्त.—इन नियमों में, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों अथवा व्यक्ति को दी जाने वाली आयु-सीमा तथा अन्य छूट आरक्षण को प्रभावी नहीं करेगा।

अनुसूची

पदों के नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टोर्स अधिकारी	1* (2012) *कार्यभार की प्रकृति के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय समूह 'ख', राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन बैंड-2, रु. 9300—34800 के साथ 4600 रु. का ग्रेड वेतन	लागू नहीं	30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। नोट 1 : केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों तथा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट।

नोट 2 : आयु-सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तारीख भारत में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहौल तथा स्पीति जिला तथा पांगी उप-प्रभाग, अंडमान, निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)।

सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं

क्या सीधी भर्ती हेतु आयु तथा शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति पर लागू होगी

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

अनिवार्य :

लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष

I. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समकक्ष।

II. इंडेंटिंग, परचेजिंग, अनुरक्षण तथा स्टोर लेखा संबंधी कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियान्त्रिकी में डिप्लोमा,

(ii) इंडेंटिंग, परचेजिंग, अनुरक्षण तथा स्टोर लेखा संबंधी कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।

नोट 1 : अन्यथा अर्हक/सुयोग्य उम्मीदवारों के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट।

नोट 2 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अपने विवेकानुसार शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव में छूट प्रदान कर सकता है, यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग को यह लगता है कि इन समुदायों से अपेक्षित संख्या में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे।

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा संविलियन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा संविलियन ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा संविलियन द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में

(10)

(11)

प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) अथवा संविलियन जिसके त होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) :

केवल केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा अर्ध शासकीय अथवा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा संवैधानिक अथवा स्वायत्त निकायों के अधिकारी :—

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभागों में नियमित आधार पर सदृश अधिकारी;
(ii) मूल संवर्ग, अथवा विभागों में नियमित आधार पर 4200 रु. अथवा समकक्ष ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड 2 में 9300—34800 रु. के साथ पांच वर्ष की सेवा।

(ख) कालम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले।

नोट 1 : प्रतिनियुक्ति अवधि सहित किसी संवर्ग बाह्य पद में इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी संगठन अथवा केन्द्र सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु (लघु अवधि संविदा सहित)

अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) के आधार पर किसी अधिकारी द्वारा एक जनवरी, 2006 से पहले की नियमित आधार की सेवा, यह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार पर संशोधित वेतनमान लागू हुए थे, को उपर्युक्त आयोग की सिफारिश के आधार तदनुसारी ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा मान्य मानी जाएगी, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें वेतन के संशोधन पूर्व के दो से अधिक वेतनमानों को एक सामान्य ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में संविलियत कर दिया गया है तथा जिनमें यह लाभ केवल उन पदों को दिया गया है जिनके ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना उन्नयन के सामान्य रिप्लेसमेंट ग्रेड है। जिनमें वेतन के संशोधन पूर्व के दो से अधिक वेतनमानों को एक सामान्य ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में संविलियत कर दिया गया है तथा जिनमें यह लाभ केवल उन पदों को दिया गया है जिनके ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना उन्नयन के सामान्य रिप्लेसमेंट ग्रेड है।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना

भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से किन परिस्थितियों में परामर्श किया जाना अपेक्षित है

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (सम्मूष्टि पर विचार हेतु) में निम्न होंगे :

1. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाने, नई दिल्ली —अध्यक्ष
2. महाप्रबंधक, सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना, नीमच —सदस्य
3. कार्य अभियन्ता, सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना, नीमच —सदस्य

किसी अधिकारी को लघु संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर भर्ती करते समय प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित है।

[फा. सं. II/स्था./5/6/ईसी/2007/भाग-1]

टी. के. सतपथी, अवर सचिव

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2012

G.S.R. 300.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch (Stores Officer) Recruitment Rules, 1986, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stores Officer, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch (Stores Officer) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and the pay band, grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stores Officer	1* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable	Not exceeding 30 years. Note 1 : Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed

(6)

for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation, if any

(7)

(8)

(9)

Essential :

Not applicable

Two years for direct recruits

(I) Degree of a recognized University or equivalent;

(II) Two years experience of work relating to indenting purchasing, maintenance and accounts of stores.

or

(I) Diploma in Engineering from a recognized University;

(II) Three years experience of work relating to indenting purchasing, maintenance and accounting of stores.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

4643 P.M. / 12-2

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
---	---

(10)

(11)

By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment

Deputation (including short-term contract) :

Officer under the Central Government or State Government or Public Undertaking or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations :—

(A) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the Pay Band-2 of Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in parent cadre or department.

(B) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1 : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—

1. Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, New Delhi —Chairman
2. General Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch —Member
3. Works Engineer, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch —Member

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract),

[F. No. II/Estt./5/6/EC/2007/Pt. I]

T. K. SATPATHY, Under Secy.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 517—518

Dated: 27-4-2013

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

संशोधन

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 93.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, अधिसूचना सं. सा.का.नि 300 दिनांक 12-12-2012 में प्रकाशित सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में स्टोर्स अधिकारी के भर्ती नियम की अनुसूची के कॉलम 7 (i) के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

निम्नलिखित के स्थान पर

कॉलम 7 (i) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समकक्ष"।

ऐसा पढ़ा जाए

"मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि "

[फा. सं. 2/स्था./5/6/ई.सी./2007-पार्ट I]

टी. के. सतपथी, अवर सचिव

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd April, 2013

G.S.R. 93.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendment under columns 7 (I) and 11 (A)(ii) of the Schedule to the Recruitment Rules for the post of Stores Officer in the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch, Ministry of Finance (Department of Revenue) published in Notification No. G.S.R.300 dated 12-12-2012.

For the following words:

in Col. 7 (I)

"Degree of a recognized University or equivalent;"

Read as

"Degree of a recognized University;"

In Co. 11 (A) (ii)

"with five years' service in the Pay Band -2 of Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in parent cadre or department."

Read as :

"with five years' regular service in the Pay Band -2 of Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in parent cadre or department."

[F. No. II/Estt./5/6/EC/2007-Pt.I]

T. K. SATPATHY, Under Secy.

25

1

2

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1861—1869

Dated 22-12--2012

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 306.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सरकारी अफीम तथा क्षारोद कार्य, नीमच (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियमावली, 2006 के अतिक्रमण में इस प्रकार के अतिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा विलोमित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना, नीमच, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम.— लागू होने की तिथि (1) इन नियमों को सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता आदि.—इन पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.—कोई व्यक्ति :-

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

(ख) जो, जीवित पति अथवा पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है।

उपर्युक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि यदि केन्द्र सरकार ऐसे व्यक्ति पर लागू होने वाले निजी नियमों के अंतर्गत ऐसे विवाह तथा विवाह के दूसरे पक्ष से तथा ऐसे कृत्य हेतु अन्य कारणों से संतुष्ट हो, तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार.—यदि केन्द्र सरकार की राय में ऐसा करना अपेक्षित अथवा आवश्यक हो, तो वह किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति को आदेश द्वारा लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकती है।

6. इसके अतिरिक्त.—इन नियमों में, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों अथवा व्यक्ति को दी जाने वाली आयु-सीमा तथा अन्य छूट आरक्षण को प्रभावी नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
सुरक्षा अधिकारी	01* (2012) *कार्यभार की पकृति के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित गैर-मंत्रालयी	वेतन बैंड-3, रु. 15600-39100 के साथ 5400 रुपये का ग्रेड वेतन

4763 Fin/12-1

क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु आयु तथा शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति पर लागू होगी
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	<p>35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं ।</p> <p>नोट 1 : केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों तथा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट ।</p> <p>नोट 2 : आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तारीख भारत में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहौल तथा स्पीति जिला तथा पांगी उप-प्रभाग अंडमान, निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्ष्य द्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी) ।</p>	<p>अनिवार्य :</p> <p>I. (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी/इंजीनियरी की किसी शाखा में स्नातक उपाधि; तथा</p> <p>(ii) सुरक्षा अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पर्यवेक्षक के रूप में कम-से-कम दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।</p> <p>अथवा</p> <p>I. (i) भौतिक या रसायन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि: तथा</p> <p>(ii) सुरक्षा अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कारखाने में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का कम-से-कम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव</p> <p>अथवा</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में डिप्लोमा; तथा</p> <p>(ii) सुरक्षा अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कारखाने में पर्यवेक्षक के रूप में कम-से-कम छः वर्ष का कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव ।</p> <p>अथवा</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि; तथा</p> <p>(ii) फ़ैक्ट्री अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के प्रशासन से जुड़े केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में अथवा डॉक वर्कर (सुरक्षा स्वास्थ्य तथा कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54) में पांच वर्ष का अनुभव ।</p> <p>अथवा</p> <p>(i) अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा डिप्लोमा; तथा</p> <p>(ii) उद्योग में अथवा किसी संस्थान में एक्सीडेंट निवारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण शिक्षा परामर्श अथवा अनुसंधान क्षेत्र में पांच वर्ष का (पूर्णकालिक) अनुभव ।</p>	लागू नहीं ।

II. इस संबंध में किसी राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक सुरक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री अथवा डिप्लोमा

वांछनीय :

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान ।

नोट 1 : अन्यथा अर्हक/सुयोग्य उम्मीदवारों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग को लिखित कारण दर्शाकर योग्यता में छूट देने का विवेकाधिकार है ।

नोट 2 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग, को लिखित कारण दर्शाकर अनुभव में छूट प्रदान करने का विवेकाधिकार है, यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को यह लगता है कि इन समुदायों से अपेक्षित संख्या में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे ।

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रति-नियुक्ति अथवा सविलियन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा सविलियन ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा सविलियन द्वारा भर्ती किये जाने के मामले में	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना
(9)	(10)	(11)	(12)
सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि सविदा सहित) अथवा सविलियन जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । नोट : केवल केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित प्रशासनों के कर्मचारियों पर ही सविलियन हेतु विचार किया जाएगा ।	प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि सविदा सहित) अथवा सविलियन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा संवैधानिक अथवा स्वायत्त निकायों के अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभागों में नियमित आधार पर सादृश अधिकारी । (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर 4800 रुपये अथवा समकक्ष ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड-2 में नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा, अथवा (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर 4600 रुपये अथवा समकक्ष ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड-2 में नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा, अथवा (iv) मूल संवर्ग अथवा विभाग में	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (सम्मूष्टि पर विचार हेतु) में निम्न होंगे : (i) सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाने के प्रभारी अपर सचिव अथवा सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड-अध्यक्ष (ii) सदस्य अथवा अपर सचिव, अथवा संयुक्त सचिव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, जो केन्द्रीय उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत आने वाले विभागों में कार्मिक प्रबन्धन का कार्य देखते हैं-सदस्य (iii) मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाने-सदस्य नोट : सम्पुष्टि के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही अनुमोदनार्थ आयोग को भेजी जाएगी । हालांकि यदि इन्हें उपर्युक्त आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की अध्यक्षता में एक नई बैठक आयोजित की जाएगी ।

नियमित आधार पर 4200 रुपये
अथवा समकक्ष ग्रेड वेतन के साथ
वेतन बैण्ड-2 में नियुक्ति के पश्चात्
8 वर्ष की सेवा, तथा

(ख) कालम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती
हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा
अनुभव रखने वाले ।

नोट 1 : प्रतिनियुक्ति अवधि सहित
(लघु अवधि संविदा सहित) किसी संवर्ग
बाह्य पद में इस नियुक्ति से तत्काल
पहले उसी संगठन अथवा केन्द्र सरकार
के विभाग में प्रतिनियुक्ति अवधि (लघु
अवधि संविदा सहित) सामान्यतः
3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु (लघु
अवधि संविदा सहित) अधिकतम आयु
-सीमा इस आवेदन की प्राप्ति की
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक
नहीं होगी ।

नोट 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति
(लघुअवधि संविदा सहित) के
आधार पर किसी अधिकारी द्वारा एक
जनवरी, 2006 से पहले की नियमित
आधार की सेवा, वह तारीख जिससे
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार
पर संशोधित वेतनमान लागू हुए थे,
को उपर्युक्त आयोग की सिफारिश के
आधार तदनुरूपी ग्रेड वेतन अथवा
वेतनमान में की गई सेवा मान्य मानी
जाएगी, केवल उन मामलों को छोड़कर
जिनमें वेतन के संशोधन पूर्व के दो से
अधिक वेतन मानों को एक सामान्य
ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में
संविलियत कर दिया गया है तथा जिनमें
यह लाभ केवल उन पदों को दिया
गया है जिनके ग्रेड वेतन अथवा
वेतनमान बिना उन्नयन के सामान्य
रिफ्लेसमेंट ग्रेड है ।

भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से किन परिस्थितियों में परामर्श किया जाना अपेक्षित है

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2012

G.S.R. 306.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch (Safety Officer) Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Safety Officer in the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch, Ministry of Finance (Department of Revenue), namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch (Safety Officer) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification, and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale
(1)	(2)	(3)	(4)
Safety Officer	1*(2012) (*Subject to variation dependent on work-load).	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400/-.
Whether selection or non-selection post	Age-Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not exceeding 35 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or	Essential : I. (i) Degree in any branch of Engineering or Technology from a recognised University and	Not applicable

4763 Fin/12-2

orders issued by the Central Government.

Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(ii) Practical experience of working in the field of safety Engineering aspects in a factory in supervisory capacity for a period of not less than two years.

Or

(i) Degree in Physics or Chemistry from a recognized University and

(ii) Practical experience of working in the field of safety engineering aspects in a factory in supervisory capacity for a period of not less than five years.

Or

(i) Diploma in any branch of Engineering or Technology from a recognized University or Institution and

(ii) Practical experience of working in the field of safety engineering aspects in a factory in supervisory capacity for a period of not less than six years.

Or

(i) Degree or Diploma in Engineering or Technology from a recognized University and

(ii) Five years' experience in the Department of Central Government or State Government dealing with Administration of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 (54 of 1986).

Or

(i) Degree or Diploma in Engineering or Technology from a recognized University and

(ii) Five years' experience (full time) on training education consultancy or research in the field of accident prevention in Industry or in any Institution.

II. Degree or Diploma in Industrial Safety recognized by the State Government in this behalf.

Desirable :

Working knowledge of Hindi.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
One year for direct recruits.	Deputation (including short term contract) or absorption failing which by direct recruitment. Note : Only employees of Central Government or State Governments or Union Territory administrations shall be considered for absorption.	<p>Deputation (including short-term contract) or absorption : Officers under the Central Government or State Government or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Bodies :</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department and</p> <p>(b) possessing the education qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>

Note 1 : Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (Including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :

Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

1. Additional Secretary or Member, Central Board of Excise and Customs incharge of Government Opium and Alkaloid Factories—Chairman
2. Member or Additional Secretary or Joint Secretary in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, who is looking after the personnel management of the departments under the Central Board of Excise and Customs—Member
3. Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories—Member

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[F. No. II(17)3/Estt./CCF/2010]
T. K. SATPATHY, Under Secy.